

हर थाने में जनसुनवाई अधिकारी, सुबह आठ से रात आठ बजे तक सुनेंगे फरियाद

थानों में अब शिकायतों के त्वरित निस्तारण की होगी निगरानी

जिला संवाददाता
रमेश कुमार शर्मा
बलरामपुर। आमजन की शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और

जारी आदेश के मुताबिक जनसुनवाई अधिकारी प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक थाने में निर्धारित स्थान पर मौजूद रहेंगे। दूर-दराज

और उच्चाधिकारियों से प्राप्त संदर्भों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। भूमि विवाद से संबंधित मामलों में राजस्व टीम के साथ संयुक्त जांच, जबकि पारिवारिक विवादों में काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर प्रकृति की शिकायत मिलने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

निस्तारण के बाद लिया जाएगा शिकायतकर्ता का फीडबैक

जनसुनवाई अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की उच्चाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। शिकायत के निस्तारण के बाद संबंधित शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाएगा, जिससे यह पता चल सके कि कार्रवाई से वह संतुष्ट है या नहीं। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक अथवा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने कहा कि जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना है। आमजन को अपनी समस्या के समाधान के लिए परेशान न होना पड़े और थाने के स्तर पर ही उसे त्वरित एवं नियमानुसार न्याय मिल सके, इसी दिशा में यह व्यवस्था लागू की गई है।



गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने जिले के सभी थानों पर जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की है। जनसुनवाई अधिकारी थाने में आने वाले फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनेंगे और संबंधित अधिकारी-कर्मचारी से नियमानुसार कार्रवाई कराकर शिकायत का निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे। पुलिस अधीक्षक की ओर से

से आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याएं एक-एक कर सुनी जाएंगी। पुलिसकर्मियों को फरियादियों के साथ मृदुभाषी और शिष्ट व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। शिकायतकर्ता की बात धैर्यपूर्वक सुनकर उसे न्याय का भरोसा दिलाने पर विशेष जोर दिया गया है। थाने पर प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के साथ आईजीआरएस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन